न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अपर जिला जज बागेश्वर।

उपस्थित शमशेर अली ....(एच0जे0एस0)

एम0 ए0 सी0 पी0 संख्या **01/2018**

1- जन्मेजय सिंह बनकोटी उम्र 31वर्ष पुत्र स्व. श्री गणेश चन्द्र सिंह

2. कु0 अदिति बनकोटी उम्र 08 माह नाबालिग पुत्री श्री जन्मेजय सिंह
प्राकृतिक वली पिता जन्मेजय सिंह,
निवासी ग्राम व पो0 ऑ0 बनकोट,
जिला पिथौरागढ।...**याचीगण**

बनाम्

1. श्री पंकज कुमार पुत्र श्री रामसिंह पन्याल,
निवासी ग्राम डुगरीपन्त, थाना बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़,
मालिक ट्रक सं. /डंपर सं. यू.के. 05 सी ए–0142

2. श्री जबरअली पुत्र श्री हैदर अली,
निवासी कृष्णापुर तल्लीताल नैनीताल।

3. यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि.,
बैंक रोड सिलथाम,निकट– जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़,
पिथौरागढ।

4. आई. सी. आई. सी. आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स क. लि.,
लोम्बार्ड हाउस 414 बीरसावरकर मार्ग,
निकट सिद्धी विनायक मंदिर,
प्रभा देवी मुम्बई– 400025 ....**विपक्षीगण**

याचीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री चन्दन सिंह रौतेला।
विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री डी. के. काण्डपाल।
विपक्षी सं. 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री नरेन्द्र सिह कोरंगा।
विपक्षी सं. 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री गिरीश कोरंगा।

दिनांक 29.11.2018 **–::निर्णय::–**

याचीगण द्वारा यह वाद विपक्षीगण के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140/166 के अन्तर्गत 84,15,000/–(चौरासी लाख पन्द्रह हजार रूपये) के प्रतिकर हेतु योजित किया गया है।

2. याचीगण द्वारा अपनी याचिका में कहा गया है कि मृतक स्कूटी सं. यू.के. 02–9335 से बिलौरी (काफलीगैर) से ताकुला पॉलिटैक्निक को समय प्रातः 9.15 बजे जा रही थी तो बागेश्वर–अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर काफलीगैर के समीप सिन्दूरी मोड से 1/2 कि.मी. दूरी पर दि. 29.01.2018 को डंपर सं. यू.के. 05 सीए–0142 जिसे चालक जबरअली लापरवाही व अत्यधिक तेज गति से चला रहा था तथा स्कूटी में टक्कर मारने के कारण निधि बनकोटी की मृत्यु कारित की तथा मौके पर डंपर को खड़ा कर मौकाये वारदात से भाग गया। मृतका स्व. बी. सी. जोशी राजकीय ग्रामीण पॉलिटैक्निक ताकुला (अल्मोड़ा) में संविदा व्याख्याता के पद पर (गणित/विज्ञान) पर दि. 27.08.2012 से 28.01.2018 नियुक्ति थी। मृतका ने एम.एस.सी. गणित विषय से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया था तथा बी.एड. प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था तथा टीचर्स एलीजीबिलिटी टेस्ट प्रथम 2011 प्राईमरी टीचर एवं उत्तराखण्ड टीचर्स एलीजीबिलिटी टेस्ट द्वितीय 2013 अपर प्राईमरी टीचर हेतु उत्तीर्ण की थी वह एक होनहार योग्य उम्मीदवार थी और भविष्य में अच्छे वेतन व सरकारी नौकरी पाने की पूर्ण हकदार थी जो उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार उसे मिलना अवश्यसंभावी था। उक्त डंपर चालक द्वारा डंपर को लापरवाही एवं अत्यधिक तेजी के साथ डंपर चालन कर निधि बनकोटी की स्कूटी को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की गयी जो घटनास्थल पर ही मृत हो गयी। इन्हीं आधारों पर रू0 84,15,000/–(चौरासी लाख पन्द्रह हजार रूपये) प्रतिकर प्राप्त करने की प्रार्थना याचीगण द्वारा की गयी।

3. विपक्षी सं. 1 द्वारा अपना प्रतिवाद पत्र कागज सं. 22ख/1 लगायत 22ख/3 में याचिका के पैरा सं. 1 लगायत 13 को स्वीकार नही किया है तथा पैरा सं. 14 से पैरा सं. 19 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है तथा पैरा सं. 20 से 21 को अस्वीकार करते हुए एवं याचिका का विरोध करते हुए, संक्षेप में अपने अतिरिक्त कथन में कहा है कि याचीगण द्वारा झूठे एवं निराधार तथ्यों पर याचिका प्रस्तुत की गयी है। दुर्घटना स्कूटी संख्या यू.के.02–9335 के चालक द्वारा स्कूटी को तेजी एवं लापरवाही से चलाने के कारण घटित हुई है। दुर्घटना के समय वाहन संख्या यू. के. 05 सी. ए.–0142 के चालक द्वारा वाहन को सावधानीपूर्वक

चलाया जा रहा था तथा वाहन चालक के पास वाहन के समस्त वैध प्रपत्र थे और उसका ड्राईविंग लाईसेन्स सं. यू. के. 0420030089483 दि. 17.04. 2016 से 16.04.2019 तक वैध है। अपने प्रतिवाद पत्र में यह भी कथन किया है कि दुर्घटना के समय उक्त वाहन यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. से पॉलसी सं. 2508003116पी.117527258 से दि. 22.03.2017 से 21.03.2018 तक बीमित था। इस कारण यदि याचीगण कोई प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार है तो उस प्रतिकर को अदा करने का उत्तरदायित्व विपक्षी बीमा कम्पनी का है। मामले में विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध याचीगण के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। अतः विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध याचीगण की याचिका को निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

4. विपक्षी सं. 2 द्वारा अपना जबावदावा कागज सं. 25ख1/ लगायत 25ख/2 प्रस्तुत करते हुए याचीगण की याचिका के पैरा सं. 1 लगायत 8 को जानकारी के अभाव में अस्वीकार कर तथा पैरा सं. 9 लगायत 13 के कथन को गलत होना कहा है और पैरा सं. 14 लगायत 19 पर कोई टिप्पणी न करते हुए संक्षेप में अपने अतिरिक्त कथन में कहा है कि विपक्षी उत्तरदाता वाहन को वैध प्रपत्रों एवं वैध डी. एल. के साथ पूरी सावधानी पूर्वक चला रहा था उसके द्वारा कोई भी दुर्घटना कारित नही की गयी है याची द्वारा उत्तरदाता के विरूद्ध गलत याचिका प्रस्तुत की गयी है। निधि बनकोटी द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए ओवरटेक करने के कारण घटित हुई है। विपक्षी उत्तरदाता द्वारा अपने वाहन को पूर्ण सावधानी पूर्वक चलाया जा रहा था। मामले में याची द्वारा मृतक की आय बढ़ा चढ़ा कर लिखी गयी है मामले में प्रतिकर प्रदान करने के लिए विपक्षी उत्तरदाता की कोई जिम्मेदारी नही बनती है। यदि कोई जिम्मेदारी बनती है तो वह बीमा कम्पनी की बनती है। अतः विपक्षी सं. 2 के विरूद्ध याचीगण की याचिका को निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

5. विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स क. लि. हल्द्वानी द्वारा अपने जबावदावा कागज सं. 16ख/1 लगायत 16ख/3 में याचीगण की याचिका के पैरा सं. 1 लगायत 21 के कथनों को अस्वीकार करते हुए याचिका का विरोध किया है तथा संक्षेप में अपने अतिरिक्त कथन में

कहा है कि एम.वी.एक्ट की धारा 158(6) का अनुपालन नही किया गया है। विपक्षी बीमा कम्पनी के विरूद्ध याचिका में कोई भी वाद कारण दर्शित नही किया गया है। प्रश्नगत दुर्घटना वाहन संख्या यू.के.02 –9335 की तेजी एवं लापरवाही के कारण घटित हुई है। वाहन सं. यू.के. 05 सीए–0142 के स्वामी द्वारा बीमा पॉलसी की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। याचीगण द्व ारा याचिका निराधार तथ्यों पर योजित की गयी है। अन्त में विपक्षी सं. 3 द्वारा याचीगण की याचिका को निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

6. विपक्षी सं. 4 आई. सी. आई. सी. आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स क. लि. द्वारा अपने जबावदावा कागज सं. 30ख/1 लगायत 30ख/3 में याचीगण की याचिका के पैरा सं. 1 लगायत 21 को अस्वीकार करते हुए संक्षेप में अपने अतिरिक्त कथन में कहा है कि एम.वी.एक्ट की धारा 158(6) का अनुपालन नही किया गया है। विपक्षी बीमा कम्पनी के विरूद्ध याचिका में कोई भी वाद कारण दर्शित नही किया गया है। प्रश्नगत दुर्घटना वाहन संख्या यू.के.–05 सीए –0142 की तेजी एवं लापरवाही के कारण घटित हुई है। वाहन सं. यू.के.02–9335 (स्कूटी) के स्वामी द्वारा बीमा पॉलसी की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। याचीगण द्वारा याचिका निराधार तथ्यों पर योजित की गयी है। अन्त में विपक्षी सं. 4 द्वारा याचीगण की याचिका को निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

7. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर अधिकरण द्वारा निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये।

1. क्या डंपर वाहन संख्या यू. के. 05 सीए–0142 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चला कर दिनांक 29.01.2018 को स्थान सिन्दूरी बैण्ड(काफलीगैर)के पास समय प्रातः 9.15 बजे स्कूटी संख्या यू.के.02–9335 में टक्कर मार दी। जिसमें स्कूटी चालक निधि बनकोटी की मृत्य हो गयी। यदि हॉ तो प्रभाव ?

2. क्या दुर्घटना में संलिप्त दोनो वाहन क्रमशः स्कूटी एवं डंपर के चालकों के पास दुर्घटना के समय वाहनों को चलाने

हेतु वैध एवं प्रभावी लाईसेन्स थे तथा क्या दुर्घटना के समय दोनो वाहनों के समस्त प्रपत्र वैध थे ?

3. क्या दुर्घटना में स्कूटी चालक की योगदायी उपेक्षा थी?

4. याचीगण किस अनुतोष को एवं किस पक्षकार से प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

8. पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। याचीगण की ओर से जन्मेजय बनकोटी पी. डब्लू. 1, यशवन्त सिंह रौतेला पी. डब्लू. 2, नरेन्द्र सिंह रौतेला पी. डब्लू. 3 तथा कैलाश कुमार आर्या पी. डब्लू. 4 के रूप में परीक्षित कराये गये। जन्मेजय बनकोटी द्वारा अपना साक्ष्य शपथ पत्र कागज 33ख/1 लगायत 33ख/2, यशवन्त सिंह रौतेला का साक्ष्य शपथ पत्र कागज सं. 35ख/1 लगायत 35ख/2 तथा साक्षी नरेन्द्र सिंह रौतेला का साक्ष्य शपथ पत्र कागज सं. 37ख प्रस्तुत किया गया तथा विपक्षीगण द्वारा साक्षी पी. डब्लू. 1 लगायत पी.डब्लू. 4 से प्रति परीक्षा की गयी।

9. दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से फेहरिस्त कागज सं. 6ग1/1 से प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति कागज सं. 6ग1/2, निधि बनकोटी का मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति कागज सं. 6ग1/3, निधि बनकोटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति कागज सं. 6ग1/4 लगायत कागज सं. 6ग1/6, पंचायतनामा की प्रमाणित प्रति कागज सं. 6ग1/7 लगायत 6ग1/9, मृतका निधि रौतेला का ड्राईविंग लाईसेन्स व वोटर आई.डी. कागज सं. 6ग1/10, वाहन संख्या यू. के. 02–9335 की बीमा पॉलसी की छाया प्रति कागज सं. 6ग1/11, वाहन संख्या यू.के. 02–9335 का पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति कागज सं. 6ग1/12, कार्यालय प्रधानाचार्य स्व0 बी0सी0 जोशी राजकीय ग्रामीण पॉलीटेक्निक ताकुला (अल्मोड़ा) का प्रमाण पत्र कागज सं. 6ग1/13, मृतका निधि रौतेला का उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा–द्वितीय, 2013 की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रति कागज सं. 6ग1/14, हाई स्कूल परीक्षा 2002 की प्रमाणित प्रति कागज सं. 6ग1/15, वर्ष 2010 की कुमाऊँ विश्वविद्यालय की एम.एस.सी. गणित का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति कागज सं. 6ग1/16, वर्ष 2009 की कुमाऊँ विश्वविद्यालय की बी0 एड0 की प्रमाणित

प्रति कागज सं. 6ग1/17, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम, 2011 का नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र कागज सं. 6ग1/18, परिवार रजिस्टर की प्रति कागज सं. 6ग1/19, जन्मेजय बनकोटी का आधार कार्ड की छाया प्रति कागज सं. 6ग1/20, अदिति बनकोटी का आधार कार्ड की छाया प्रति कागज सं. 6ग1/21 तथा फौ. सं. 245/2018 सरकार बनाम् जबरअली का आरोप पत्र की नकल मय फेहरिस्त कागज सं. 43ग1/1 से 43ग1/2 लगायत 43ग1/3 तथा फेहरिस्त कागज सं. 56ग1/1 से प्रधानाचार्य, स्व0 जनरल बी0सी0 जोशी राजकीय ग्रामीण पॉलीटेक्निक ताकुला अल्मोड़ा द्वारा प्रदत्त सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी संविदा कर्मियों को देय मानदेय माह अक्टूबर 2017, नवम्बर 2017, दिसम्बर 2017, जनवरी 2018 के सत्यापित बिल कागज सं. 56ग1/2 लगायत 56ग1/8 तथा शासनादेश सं. 800 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग दिनांक 01 सितम्बर 2014 व शासनादेश सं. 1194 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादून दिसम्बर 2011 की सत्यापित प्रतियॉ कागज सं. 56ग1/9 लगायत 56ग1/12 दाखिल की गयी है

10. विपक्षीगण द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के समर्थन में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

11. दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से फेहरिस्त कागज सं. 23ग1/1 से वाहन सं. यू. के. 05 सी.ए.–0142 की आर. सी. की प्रमाणित प्रति कागज सं. 23ग1/2, माल यान परमिट की प्रमाणित प्रति कागज सं. 23ग1/3,ए. आर. टी. ओ. पिथौरागढ़ द्वारा टैक्स पेड की रसीद की प्रमाणित प्रति कागज सं. 23ग1/4, इंश्योरेन्स की प्रमाणित प्रति कागज सं. 23ग1/5 लगायत कागज सं. 23ग1/6, चालक जबरअली का ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति कागज सं. 23ग1/7 दाखिल की गयी है।

12. दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विपक्षी सं. 3 की ओर से फेहरिस्त कागज सं. 52ग1/1 से अन्वेषण आख्या कागज सं. 52ग1/2 लगायत 52ग1/7 दाखिल की गयी है।

13. विपक्षी सं. 4 की ओर से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दाखिल नही किए गए हैं।

14. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

–निष्कर्ष–

15. **निस्तारण वाद बिन्दु सं0 1 व 3** :– वाद बिन्दु सं0 1व 3 परस्पर सम्बन्ध रखते है। इस कारण वाद बिन्दु सं. 1 व 3 का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

वाद बिन्दु संख्या 1 इस आशय से विरचित किया गया है कि– ''क्या डंपर वाहन सं0 यू0के0 05 सी.ए.–0142 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चला कर दिनांक 29.01.2018 को स्थान सिन्दूरी बैण्ड(काफलीगैर)के पास समय प्रातः 9.15 बजे स्कूटी संख्या यू0के0 02–9335 में टक्कर मार दी जिसमें स्कूटी चालक निधि बनकोटी की मृत्यु हो गयी। यदि हॉ तो प्रभाव ?''

वाद बिन्दु संख्या 3 इस आशय से विरचित किया गया है कि–: ''क्या दुर्घटना में स्कूटी चालक की योगदायी उपेक्षा थी ?''

16. उपरोक्त वाद बिन्दु संख्या 1 के समर्थन में याचीगण की ओर से पी. डब्लू.1 जन्मेजय बनकोटी द्वारा अपने शपथ पत्र कागज सं. 33ख/1 में घटना का समर्थन किया है परन्तु इस साक्षी द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया गया है कि मैने घटना घटित होते नही देखी। घटना के समय मैं वहॉ उपस्थित नही था। यह कहना गलत है कि मेरी पत्नी की मृत्यु स्वंय की लापरवाही के कारण घटित दुर्घटना से हुई हो। इस प्रकार साक्षी पी.डब्लू.1 घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है।

17. इसी प्रकार याचीगण की ओर से पी. डब्लू.2 यशवन्त सिंह रौतेला द्वारा अपने शपथ पत्र कागज सं. 35ख/1 में घटना का समर्थन किया है । साक्षी पी. डब्लू. 2 द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में यह कहा गया है कि मृतका मेरी पुत्री है, दुर्घटना मैने अपनी ऑखों से नही देखी । मैं उस दिन बागेश्वर को जा रहा था। यह कहना गलत है कि कथित दुर्घटना

मामले की मृतका के स्कूटी से ओवरटेक करने के कारण हुई हो। याची जन्मेजय बनकोटी हल्द्वानी में अपना स्वंय का रिसोर्ट का व्यवसाय करता है। **मृतका आयकर नही देती थी। मृतका संविदा पर थी उसकी नियुक्ति स्थायी नही थी।** यह कहना गलत है कि मृतका प्रतिमाह तीस हजार रूपये वेतन प्राप्त न करती हो। जिस कारण वह आयकर न देती हो। मैने डंपर सं. यू.के. 05 सीए.–0142 के चालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी। यह कहना सही है कि डंपर सं. यू.के. 05सीए–0142 के चालक के विरूद्ध तेजी व लापरवाही से वाहन चलाने से हुई, दुर्घटना में चालक के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय आ चुका है। इस प्रकार साक्षी पी.डब्लू. 2 घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है।

18. पी. डब्लू.3 के रूप में नरेन्द्र सिह रौतेला का शपथ पत्र कागज सं. 37ख प्रस्तुत किया गया। इस शपथ पत्र के प्रस्तर संख्या.1 में इस तथ्य का वर्णन किया गया है कि दि. 29.01.2018 को प्रातः लगभग 9 बजे अपनी अल्टो टैक्सी नं. यू.के. 02 टी.ए.–0545 में सवारियों को काफलीगैर से अल्मोड़ा की ओर जा रहा था। जैसे ही मैं आर.एफ.सी. गोदाम/ सिन्दूरी बैन्ड से लगभग 1/2 कि.मी. पहुॅचा तो देखा कि एक डंपर संख्या यू.के. 05 सीए./0142 ने स्कूटी संख्या यू.के. 02/9335 को पहले पास दिया और पास देते ही डंपर को तेज गति व लापरवाही से आगे बढ़ा दिया तथा स्कूटी को टक्कर मारकर गिरा दिया। जिसे निधि बनकोटी चला रही थी और टक्कर लगने के कारण निधि बनकोटी डंपर के दांये पिछले पहिये के नीचे दब गयी और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा डंपर चालक डंपर को थोड़ी दूर पर खड़ा कर मौके से पैदल ही जंगल की ओर भाग गया। मैने अपनी अल्टो गाड़ी को रोका तथा देखा की महिला की मृत्यु हो चुकी है तथा डंपर के पिछले दायें टायर में खून लगा था। साक्षी पी. डब्लू. 3 ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मैं नही बता सकता कि कथित दुर्घटना कैसे हुई।

19. पत्रावली में मृतका निधि बनकोटी पत्नी जन्मेजय बनकोटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति कागज सं. 6ग1/4 लगायत 6ग1/6 है, जिसमें " Cause of death head injury " अंकित है , पोस्टमार्टम रिपोर्ट साक्षी पी. डब्लू.3 के साक्ष्य का समर्थन करती है। पत्रावली में कागज

सं0 6ग1/2 प्रथम सूचना रिपोर्ट है जिसमे डंपर के चालक द्वारा डंपर को तेजी व लापरवाही से चलाकर स्कूटी में टक्कर मारकर दुर्घटना घटित किए जाने का वर्णन है। पत्रावली में कागज सं. 43ग1/2 लगायत 43ग1/3 आरोप पत्र की सत्य प्रतिलिपि है यह आरोप पत्र प्रश्नगत डंपर के चालक जबरअली पुत्र स्व0 श्री हैदरअली निवासी तल्ला कृष्णापुर वार्ड नं. 12 तल्लीताल जिला नैनीताल के विरूद्ध है।

20. इस प्रकार साक्षी पी.डब्लू. 1 लगायत पी.डब्लू. 3 के साक्ष्य से एवं पत्रावली में मौजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र, मृतका की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा कागज सं. 6ग1/7 लगायत 6ग1/9 एवं मृतका के मृत्यु प्रमाण पत्र कागज सं. 6ग1/3 से यह सिद्ध है कि दुर्घटना प्रश्नगत डंपर संख्या यू.के. 05 सीए./0142 एवं स्कूटी संख्या यू.के. 02/9335 की टक्कर होने से घटित हुई। जिसमें स्कूटी चालक श्रीमती निधि बनकोटी की मृत्यु हो गयी।

21. अब अधिकरण को यह देखना है कि कथित दुर्घटना डंपर चालक की गलती से घटित हुई अथवा स्कूटी चालक की गलती से घटित हुई। इस सम्बन्ध में साक्षी पी.डब्लू. 1 लगायत पी.डब्लू. 3 ने अपने–अपने साक्ष्य में दुर्घटना प्रश्नगत डंपर चालक की गलती से घटित होना कहा है परन्तु साक्षी पी.डब्लू. 1 व पी.डब्लू. 2 ने अपनी–अपनी प्रति परीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि इन दोनो साक्षियों ने दुर्घटना घटित होते नही देखी। जहॉ तक साक्षी पी.डब्लू. 3 का प्रश्न है तो साक्षी पी.डब्लू. 3 ने अपनी मुख्य परीक्षा शपथ पत्र में दुर्घटना डंपर चालक की गलती से होना बताया है परन्तु पी.डब्लू. 3 ने अपनी प्रति परीक्षा में कहा है कि यह नही बता सकता कि कथित दुर्घटना कैसे हुई। दुर्घटना के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा बनाए गए नक्शा नजरी से यह पता चल सकता था कि दुर्घटना डंपर चालक की गलती से हुई है अथवा स्कूटी चालक की गलती से हुई है। परन्तु याचीगण की ओर से अथवा किसी भी विपक्षीगण की ओर से घटना स्थल का नक्शा नजरी बतौर साक्ष्य अधिकरण के समक्ष पत्रावली में पेश नही किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में दुर्घटना घटित होने में 70 प्रतिशत (सत्तर प्रतिशत) उपेक्षा प्रश्नगत डंपर संख्या यू.के. 05 सीए./0142 के चालक की एवं 30 प्रतिशत (तीस प्रतिशत) उपेक्षा प्रश्नगत स्कूटी संख्या यू.

के.02–9335 की चालक की मानी जानी न्यायोचित प्रतीत होती है। तद्‌नुसार वाद बिन्दु सं0 1 व 3 निस्तारित किया जाता है।

22. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–2</u>:–** वाद बिन्दु सं0 2 इस आशय से विरचित किया गया है कि '' क्या दुर्घटना में संलिप्त दोनो वाहन क्रमशः स्कूटी एवं डंपर के चालको के पास दुर्घटना के समय वाहनों को चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी लाईसेन्स थे तथा क्या दुर्घटना के समय दोनो वाहनों के समस्त प्रपत्र वैध थे। ?''

23. उपरोक्त सम्बन्ध में प्रश्नगत स्कूटी वाहन सं. यू. के. 02–9335 के पंजीकृत स्वामी द्वारा पत्रावली में फेहरिस्त कागज सं. 6ग1/1 से स्कूटी यू.के. 02–9335 के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति कागज सं. 6ग1/12 है, जिसके अनुसार प्रश्नगत वाहन मृतका निधि रौतेला के नाम पंजीकृत है। प्रश्नगत वाहन स्कूटी यू.के. 02–9335 की बीमा पॉलसी की छाया प्रति कागज सं. 6ग1/11 है, जिसमें प्रश्नगत स्कूटी दि. 10.01.2018 से 09.01.2019 की मध्य रात्रि तक विपक्षी सं. 4 आई. सी. आई. सी. आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी से बीमित है तथा मृतका निधि रौतेला के ड्राईविग लाईसेन्स की छाया प्रति कागज सं. 6ग1/10 है जो दि. 02.1.2014 से 01.01.2034 तक वैध है। इसी प्रकार विपक्षी सं. 1 की ओर से दुर्घटना में संलिप्त डंपर वाहन सं. यू.के. 05 सीए–0142 के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति कागज सं0 23ग1/2 दाखिल की गयी है जो विपक्षी सं. 1 पंकज कुमार के नाम पंजीकृत है। पत्रावली में प्रश्नगत डंपर सं. यू.के. 05सीए.–0142 का माल यान परमिट कागज सं. 23ग1/3 है जो पर्वतीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए पूरे उत्तराखण्ड के लिए दि. 02 मई 2013 से 01 मई 2018 तक वैध है। प्रश्नगत डंपर का स्टेट ट्रान्सपोर्ट विभाग पिथौरागढ़ ए. आर. टी. ओ. द्वारा जारी प्रमाण पत्र कागज सं. 23ग1/4 है जो दि. 01 अप्रैल 2016 से दि. 31 मार्च 2018 तक वैध है। प्रश्नगत डंपर की बीमा पालिसी की छाया प्रति कागज सं. 23ग1/5 लगायत 23ग1/6 है जो दि. 22.03.2017 से 21.03.2018 तक वैध है। प्रश्नगत डंपर सं. यू.के. 05 सीए.–0142 के चालक विपक्षी सं. 2 जबरअली का ड्राईविंग लाईसेन्स कागज सं. 23ग1/7 है जिसकी नॉन ट्रान्सपोर्ट वैधता दि. 12.08.2003 से 11.08.2033 तक तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक

17.04.2016 से 16.04.2019 तक है। इस प्रकार पत्रावली में उपलब्ध उपरोक्त दस्तावेजों से यह सिद्ध है कि कथित दुर्घटना में संलिप्त दोनो वाहनों क्रमशः स्कूटी संख्या यू.के. 02—9335 एवं डंपर सं. यू.के. 05 सीए. —0142 के चालको के पास दुर्घटना के समय वाहनों को चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी लाईसेन्स थे तथा दुर्घटना के समय दोनो वाहनों के समस्त प्रपत्र वैध थे। तद्नुसार वाद बिन्दु सं. 2 निस्तारित किया जाता है।

24. **निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4** यह वाद बिन्दु इस आशय से विरचित किया गया है कि— ''याचीगण किस अनुतोष को एवं किस पक्षकार से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ?'' यदि मोटर वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके आश्रित मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिकर का निर्धारण करने हेतु मृतक की आय एवं आयु तथा आश्रितता को देखा जाना आवश्यक है। इस मामले में याचीगण द्वारा याचिका में मृतका की आयु 31 वर्ष अंकित की गयी है, मृतका की आयु के सम्बन्ध में पत्रावली में मृतका निधि रौतेला के हाईस्कूल का प्रमाण पत्र कागज सं. 6ग1/15 प्रमाणित प्रति है। जिसमें मृतका की जन्म तिथि 07.03.1987 अंकित है तथा दुर्घटना की तिथि 29.01. 2018 है। इस प्रकार मृतका के उक्त हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार दुघ् र्टना तिथि को मृतका की आयु 30 वर्ष, 10 माह, 22 दिन आती है। सुविधा की दृष्टि से मृतका की आयु दुर्घटना की तिथि को 31 वर्ष निर्धारित की जाती है।

25. याचीगण द्वारा याचिका में मृतका की आय स्व0 बी.सी.जोशी राजकीय ग्रामीण पॉलोटैक्निक ताकुला (अल्मोड़ा) में संविदा व्याख्याता के पद पर कार्य करते हुए रू0 30000/—(तीस हजार रूपये) प्रतिमाह दर्शाई गयी है। पी. डब्लू. 1 जन्मेजय बनकोटी ने अपनी मुख्य परीक्षा शपथ पत्र में मृतका द्वारा उक्त पद पर कार्य करते हुए रू0 30000/—(तीस हजार रूपये) प्रतिमाह मृतका का वेतन बताया है। साक्षी पी.डब्लू. 1 ने अपनी प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है कि उसकी पत्नी मृतका की उक्त पद पर स्थायी नियुक्ति नही थी। इसी प्रकार साक्षी पी. डब्लू. 2 यशवन्त सिंह रौतेला ने अपनी मुख्य परीक्षा शपथ पत्र में बताया है कि उसकी पुत्री मृतका निधि रौतेला/ बनकोटी स्व0 बी.सी. जोशी राजकीय ग्रामीण

पॉलोटैक्निक ताकुला (अल्मोड़ा) में संविदा प्रवक्ता पद पर दिनांक 27.08. 2012 से 28.01.2018 तक नियुक्त थी व उसे रू0 30000/—(तीस हजार रूपये) प्रतिमाह वेतन मिलता था। साक्षी पी. डब्लू. 2 ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि **मृतका आयकर नही देती थी। मृतका संविदा पर थी, उसकी नियुक्ति स्थाई नही थी।** साक्षी पी. डब्लू. 2 ने अपनी प्रति परीक्षा में यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मृतका प्रतिमाह रू0 30000/—(तीस हजार रूपये) वेतन प्राप्त न करती हो जिस कारण वह आयकर न देती हो।

26. पी. डब्लू.4 कैलाश कुमार आर्या ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि श्रीमती निधि बनकोटी पत्नी जन्मेजय बनकोटी, स्व0 बी. सी. जोशी राजकीय ग्रामीण पॉलिटेक्निक ताकुला, अल्मोड़ा में दि. 27.08. 2012 से 28.01.2018 की अवधि तक विभिन्न शैक्षिक सत्रों में संविदा व्याख्याता (गणित/विज्ञान) के पद पर कार्यरत थी। श्रीमती निधि बनकोटी को रू0 30,000/—(तीस हजार रूपये) प्रतिमाह वेतन भत्ता दिया जाता था। मैने दि. 14.02.2018 को निधि बनकोटी का संविदा प्रवक्ता होने का प्रमाण पत्र प्रदत्त किया है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर कैलाश कुमार आर्य प्रभारी प्रधानाचार्य, स्व0 विपिन चन्द्र जोशी राजकीय ग्रामीण पॉलिटेक्निक ताकुला के तौर पर किये है। जिन्हें मैं शिनाख्त करता हूँ जो पत्रावली में कागज सं. 6ग1/13 है। मैं आज अपने साथ रजिस्टर ऑफ कान्टीनजेन्ट चार्ज भी लाया हूँ। जिसके पृष्ठ सं. 11 पर श्रीमती निधि रौतेला संविदा व्याख्याता का माह अक्टूबर 17, नवम्बर 17, माह दिसम्बर 2017 और माह जनवरी 2018 का पारिश्रमिक दर्ज है जो रूपया तीस हजार प्रतिमाह है। उक्त रजिस्टर पर भी मेरे ही हस्ताक्षर है जिन्हें मैं शिनाख्त करता हूँ। साक्षी पी. डब्लू. 4 ने अपनी प्रति परीक्षा में कहा है कि **मृतका श्रीमती निधि बनकोटी संविदा के रूप में सेवारत थी। उसकी स्थायी नियुक्ति नही थी,** उनकी नियुक्ति बतौर संविदा में एक वर्ष के लिए होती थी और शासन स्तर से उनकी संविदा बढ़ाये जाने पर ही उनकी सेवा ली जाती थी। आज मैं न्यायालय में जो स्फट व्यय पंजिका लाया हूँ उसके अनुसार **जनवरी 2018 में मृतका को धनराशि रू0 13,000/—(तेरह हजार रू0) का भुगतान किया गया है।** यह

कहना गलत है कि मृतका प्रतिमाह तीस हजार रूपये वेतन प्राप्त न करती हो।

27. मृतका की आय के सम्बन्ध में फेहरिस्त कागज सं. 56ग1/1 से प्रधानाचार्य, स्व0 जनरल बी.सी. जोशी राजकीय ग्रामीण पॉलीटेक्निक ताकुला अल्मोड़ा द्वारा प्रदत्त सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त दस्तावेज कागज सं0 56ग1/2 लगायत 56ग1/8 दाखिल किए गए हैं तथा शासनादेश संख्या 800 दि. 01 सितम्बर 2014 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादून की प्रति कागज सं. 56ग1/9 लगायत 56ग1/10 व शासनादेश संख्या 1194 दि. 12 दिसम्बर 2011 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादून की प्रति कागज सं0 56ग1/11 लगायत 56ग1/12 दाखिल की गयी है। उक्त के दस्तावेजों के अतिरिक्त पत्रावली में कागज सं0 6ग1/13 कार्यालय प्रधानाचार्य स्व0 बी0सी0 जोशी राजकीय ग्रामीण पॉलीटेक्निक ताकुला (अल्मोड़ा) द्वारा जारी मृतका की आय का प्रमाण पत्र है।

28. मृतका श्रीमती निधि बनकोटी की आय के सम्बन्ध में अधिकरण द्वारा उक्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रमाण पत्र कागज सं. 6ग1/13 में मृतका की आय रू0 30000/-(तीस हजार रू0) प्रतिमाह अंकित की गयी है। याचीगण की ओर से प्रस्तुत **शासनादेश संख्या 800 कागज सं. 56ग1/9 लगायत 56ग1/10** के पृष्ठ संख्या 1 के प्रस्तर संख्या 2 में संविदा व्याख्याता का मासिक मानदेय रू0 30000/-(तीस हजार रू0) प्रतिमाह अंकित है तथा **पृष्ठ संख्या 2 के प्रस्तर संख्या 3 में संविदा व्याख्याता के अनुपस्थित रहने पर रू0 1000/-(एक हजार रूपये) प्रति दिवस कटौती किया जाना अंकित किया गया है** तथा उक्त शासनादेश के पृष्ठ संख्या 2 के प्रस्तर संख्या 5 में यह अंकित किया गया है कि **" शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश में संविदा व्याख्याता , संविदा कर्मशाला, अनुदेशक एवं संविदा कम्प्यूटर प्रोग्रामर को संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया जाएगा। "** इस प्रकार उक्त शासनादेश से स्पष्ट है कि संविदा व्याख्याता को तीस हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय देय होगा तथा उसे शीतकालीन एवं

ग्रीष्मकालीन अवकाश में किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया जाएगा तथा उसकी अनुपस्थिति पर रू0 1000/–(एक हजार रूपये) प्रति दिवस कटौती की जाएगी। याचीगण की ओर से सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त दस्तावेज कागज सं. 56ग1/2 पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है। इस दस्तावेज कागज सं. 56ग1/2 में श्रीमती निधि रौतेला को संविदा व्याख्याता विज्ञान के पद पर वर्ष 2016–17 में संविदा पर रखे जाने की तिथि 22.08.2016 से 30.04.2017 तक अंकित है तथा सत्र 2016–17 में ब्रेक अवधि शीतकालीन अवधि में ब्रेक 21.12.2016 से 15.01.2017 तक ग्रीष्मकालीन अवधि में ब्रेक दि. 01.05.2017 से 31.08.2017 तक अंकित है तथा सत्र 2016–17 में दि. 06.11.2016 से 30.11.2016 तक कार्यबहिष्कार हड़ताल पर अंकित किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में संविदा पर रखे जाने की तिथि 01.09.2017 से 28.01.2018 तक अंकित है तथा सत्र 2017–18 में ब्रेक अवधि शीतकालीन अवधि में ब्रेक 01.01.2018 से 14.01.2018 तक अंकित है। ग्रीष्मकालीन अवधि में ब्रेक का वर्णन नहीं किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2016–17 में उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मृतका द्वारा मात्र 06 माह 10 दिन उक्त पॉलोटेक्निक में संविदा व्याख्याता के पद पर कार्य किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मृतका द्वारा मात्र 04 माह 14 दिन उक्त पॉलोटेक्निक में संविदा व्याख्याता के पद पर कार्य किया गया है जब कि मृतका की उक्त कार्य करने की अवधि में उसकी अनुपस्थिति को नही जोड़ा गया है। यद्यपि मृतका उक्त कार्यदिवसों में अनुपस्थित भी रही होगी। याचीगण की ओर से मृतका की उपस्थिति के सम्बन्ध में मात्र नवम्बर 2017, दिसम्बर 2017, जनवरी 2018 के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत किए गये है। इनके अतिरिक्त मृतका की उपस्थिति के सम्बन्ध में याचीगण की ओर से अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए हैं।

29. उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुॅची है कि मृतका द्वारा उक्त पॉलोटेक्निक में संविदा व्याख्याता के पद पर एक वर्ष में मात्र लगभग 06 माह (छः माह) कार्य किया गया है। इस प्रकार **मृतका की वार्षिक आय रू0 30,000 x 6=**

1,80,000 रूपये (एक लाख अस्सी हजार रूपये) निर्धारित की जाती है।

30. माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **2017 (4) T.A.C . 673(S.C) SUPREME COURT OF INDIA , NEW DELHI, National Insurance Company Limited *Versus* Pranay Sethi and Others.** में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा मृतक की फिक्सड सैलरी होने पर तथा मृतक की आयु 40 वर्ष से नीचे होने पर मृतक की आय में **Future prospects** के रूप में 40 प्रतिशत बढ़ोत्तरी किए जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। वर्तमान मामले में मृतका की वार्षिक आय 1,80,000/—(एक लाख अस्सी हजार रूपये) निर्धारित की गयी है जो उसे सैलरी के रूप में प्राप्त होती थी। रूपये 1,80,000/—का 40 प्रतिशत 72,000/— (बाहत्तर हजार रूपये) होते हैं। इस प्रकार मृतका की वार्षिक आय में **Future prospects** के 72000/—रू0 जोड़ने पर 1,80,000+72,000= **2,52,000/— रूपये (दो लाख बावन हजार रूपये) मृतका की वार्षिक आय आती है।**

31. माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **2017 (4) T.A.C . 673(S.C) SUPREME COURT OF INDIA , NEW DELHI, National Insurance Company Limited *Versus* Pranay Sethi and Others.** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृतक की आयु के आधार पर गुणांक लगाये जाने की विधि व्यवस्था दी गयी है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में गुणांक लगाए जाने के सम्बन्ध में **सरला वर्मा** मामले में दी गयी विधि व्यवस्था का अनुसरण करने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन व अन्य III(2009) ए सी सी 708(एस.सी.)** में मृतक की आयु 31 से 35 वर्ष के बीच होने पर 16 का गुणांक लगाये जाने की विधि व्यवस्था दी गयी है। वर्तमान मामले में मृतका की आयु 31 वर्ष निर्धारित की गयी है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर के निर्धारण हेतु वर्तमान मामले में 16 का गुणांक लगाया जाना यह अधिकरण न्यायोचित पाता है।

32. याचिका में मृतक के आश्रितों की संख्या 2 दिखाई गयी है। जिसमें याची सं. 1 जन्मेजय सिंह बनकोटी मृतका का पति है तथा याची सं. 2 कुमारी अदिती बनकोटी मृतका की नाबालिग पुत्री है। साक्षी पी. डब्लू. 1 जन्मेजय बनकोटी मृतका के पति ने अपनी प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है कि **"मैं वर्तमान में अपना रिसोर्ट तैयार कर रहा हूँ। इससे पूर्व मैं होटल में काम करता था। "** साक्षी पी.डब्लू. 2 यशवन्त सिंह रौतेला मृतका के पिता ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि **" याची जन्मेजय बनकोटी हल्द्वानी में अपना स्वंय का रिसोर्ट का व्यवसाय करता है।"** इस प्रकार साक्षी पी.डब्लू. 1 एवं पी.डब्लू. 2 के उपरोक्त बयानों से स्पष्ट है कि याची सं. 1 जन्मेजय सिंह बनकोटी हल्द्वानी में अपना स्वंय का रिसोर्ट का व्यवसाय करता है। जिससे सिद्ध है कि याची सं. 1 जन्मेजय सिंह बनकोटी अपनी पत्नी मृतका श्रीमती निधि बनकोटी पर आश्रित नहीं था। इस प्रकार मृतका पर केवल उसकी नाबालिग पुत्री याची सं. 2 कुमारी अदिती बनकोटी ही आश्रित थी। अतः मृतका के आश्रितों की संख्या एक निर्धारित की जाती है।

33. मृतका की वार्षिक आय अधिकरण द्वारा 2,52,000/- रूपये (दो लाख बावन हजार रूपये) निर्धारित की गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **2017(4) T.A.C. 673 (S.C) SUPREME COURT OF INDIA , NEW DELHI, National Insurance Company Limited *Versus* Pranay Sethi and Others.** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृतक की आय में से उसके निजी व्यय के लिए कटौती किए जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सरला वर्मा** मामले में दी गयी विधि व्यवस्था का अनुसरण करने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। **सरला वर्मा** मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृतक के विवाहित होने पर तथा मृतक के आश्रितों की संख्या 1 होने पर मृतक के निजी व्यय में मृतक की आय से 50 प्रतिशत कटौती किये जाने की विधि व्यवस्था दी गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था के आलोक में वर्तमान मामले में मृतका की वार्षिक आय 2,52,000/- रूपये (दो लाख बावन हजार रूपये) में से उसके निजी व्यय के लिए 50 प्रतिशत की कटौती करने पर मृतका की वार्षिक आय

1,26,000/–(एक लाख छब्बीस हजार) रूपये आती है। इस प्रकार **1,26,000 x 16 = 20,16,000 (बीस लाख सोलह हजार)** रूपये प्रतिकर की धनराशि आती है।

34. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **2017(4) T.A.C . 673 (S.C) SUPREME COURT OF INDIA ,NEW DELHI, National Insurance Company Limited *Versus* Pranay Sethi and Others.** में मृतक के आश्रितों को Loss of estate के मद में 15000-/ (पन्द्रह हजार रूपये) तथा Loss of Consortium के मद में **40,000/–** (चालीस हजार रूपये), तथा Funeral expenses के मद में 15000-/ (पन्द्रह हजार रूपये), कुल 15000+40,000+15000= 70,000/-((सत्तर हजार) रूपये दिए जाने की विधि व्यवस्था दी गयी है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में याची Loss of estate के मद में 15000-/ (पन्द्रह हजार रूपये) तथा Loss of Consortium के मद में **40,000/–** (चालीस हजार रूपये)तथा Funeral expenses के मद में 15000-/ (पन्द्रह हजार रूपये), कुल 15000+40,000+15000= 70,000/-(सत्तर हजार) रूपये भी प्राप्त करने के हकदार हैं। इस प्रकार प्रतिकर की धनराशि 20,16,000 +70,000= **20,86,000-/ (बीस लाख छियासी हजार)** रूपये आती है।

35. उपरोक्त से सिद्ध है कि याची सं.1 जन्मेजय सिंह बनकोटी मृतका का पति, मृतका पर आश्रित नही था। ऐसी परिस्थितियों में याची सं. 1 जन्मेजय सिंह बनकोटी (मृतका का पति) प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने का हकदार नही है। परन्तु मृतका की मृत्यु पर वह मृतका के प्रेम व स्नेह से वंचित हुआ है तथा उसके द्वारा अपनी पत्नी मृतका का अंतिम संस्कार भी किया गया है। अतः याची सं. 1 जन्मेजय सिंह बनकोटी केवल Loss of estate के मद में 15000-/ (पन्द्रह हजार रूपये) तथा Loss of Consortium के मद में **40,000/–**(चालीस हजार रूपये)तथा Funeral expenses के मद में 15000-/(पन्द्रह हजार रूपये), कुल 15000+40,000+15000= 70,000/-(सत्तर हजार) रूपये प्राप्त करने का हकदार हैं। चूँकि मृतका पर केवल उसकी नाबालिग पुत्री याची सं. 2 कुमारी अदिती बनकोटी आश्रित थी। अतः प्रतिकर की शेष संपूर्ण धनराशि 20,16,000/- (बीस लाख सोलह हजार रूपये) मय ब्याज याची सं. 2 कुमारी

अदिती बनकोटी (मृतका की नाबालिग पुत्री) प्राप्त करने की हकदार है। याची प्रतिकर की उपरोक्त धनराशि पर याचिका प्रस्तुत करने की तिथि 19.03.2018 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज भी प्राप्त करने के हकदार है।

36. अब प्रश्न यह है कि, प्रतिकर की उपरोक्त धनराशि याची सं. 1 व 2 किस विपक्षी से प्राप्त करने के हकदार हैं। इस सम्बन्ध में अधिकरण द्वारा वाद बिन्दु सं. 1 व 3 का निस्तारण करते हुए यह निर्धारित किया गया है कि दुर्घटना घटित होने में 70 प्रतिशत उपेक्षा प्रश्नगत वाहन डंपर संख्या यू.के. 05सीए/0142 की थी तथा 30 प्रतिशत उपेक्षा प्रश्नगत वाहन स्कूटी सं. यू.के. 02 –9335 की थी। प्रश्नगत वाहन डंपर संख्या यू.के. 05सीए/0142 विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स क. लि. से दुर्घटना के समय बीमित था तथा दुर्घटना के समय डंपर चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेन्स एवं डंपर के समस्त दस्तावेज वैध थे। इसी प्रकार वाहन स्कूटी सं. यू.के. 02–9335 विपक्षी सं. 4 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. से दुर्घटना के समय बीमित थी तथा दुर्घटना के समय स्कूटी चालक मृतका के पास वैध ड्राईविंग लाईसेन्स एवं स्कूटी के समस्त दस्तावेज वैध थे। अतः प्रतिकर की कुल धनराशि **20,86,000-/ (बीस लाख छियासी हजार)** रूपये में से 70 प्रतिशत धनराशि मय ब्याज विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कं. लि. एवं 30 प्रतिशत धनराशि मय ब्याज विपक्षी सं. 4 आई.सी.आई.सी. आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. याचीगण को अदा करने के लिए उत्तरदायी है। तद्नुसार वाद बिन्दु सं. 4 निस्तारित किया जाता है।

आदेश

याची सं. 1 जन्मेजय सिंह बनकोटी एवं याची सं. 2 कुमारी अदिती बनकोटी की याचिका **20,86,000-/ (बीस लाख छियासी हजार)** रूपये के प्रतिकर हेतु आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। याची प्रतिकर की उपरोक्त धनराशि पर याचिका प्रस्तुत करने की तिथि 19.03.2018 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज भी प्राप्त करने के हकदार है।

प्रतिकर की कुल धनराशि **20,86,000-/ (बीस लाख छियासी हजार)** रूपये में से 70 प्रतिशत धनराशि मय ब्याज विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कं. लि. एवं 30 प्रतिशत धनराशि मय ब्याज विपक्षी सं. 4 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. याचीगण को निर्णय की तिथि से एक माह के भीतर अदा करना सुनिश्चित करें।

प्रतिकर की कुल धनराशि **20,86,000-/ (बीस लाख छियासी हजार)** रूपये मे से **70,000/-(सत्तर हजार रूपये)** याची सं. 1 जन्मेजय सिंह बनकोटी को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से तथा शेष संपूर्ण धनराशि **20,16,000-/ (बीस लाख सोलह हजार)** रूपये मय ब्याज की एफ.डी. आर. याची सं. 2 कुमारी अदिती बनकोटी (मृतका की नाबालिग पुत्री) के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में याची सं. 2 कुमारी अदिती बनकोटी के बालिग होने तक की अवधि के लिए बनायी जाए।

यदि याचीगण ने पूर्व में इस मामले से संबंधित अंतरिम प्रतिकर की कोई धनराशि प्राप्त की है तो वह धनराशि इस धनराशि में समायोजित की जाएगी।

दिनॉक 29.11.2018

(शमशेर अली)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/
अपर जिला जज, बागेश्वर।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे द्वारा उद्घोषित किया गया।

दिनॉक 29.11.2018

(शमशेर अली)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/
अपर जिला जज, बागेश्वर।